# दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

## (दहेज के लेने और देने का प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम)

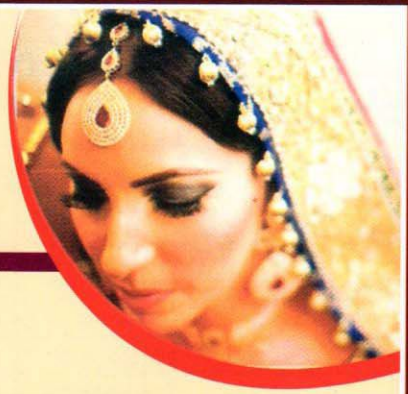

वर्तमान समाज में दहेज एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, जिसके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। दहेज की इसी समस्या को समाप्त करने के लिए 20 मई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 परित किया गया, जिसमें आवश्यक संशोधन वर्ष 1986 में किए गए है।

### "दहेज" की परिभाषा

इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी समय-

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, या

(ख) विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को, विवाह करने के संबंध में विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी समय प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में दी जाने वाले या दी जाने के लिए प्रतिज्ञा की गयी, किसी सम्पत्ति या मूल्य वान प्रतिभूति से है, किन्तु इसमें उन व्यक्तियों की दशा में मेहर सम्मिलित नहीं होगा जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत लागू होता हो।

### दहेज देने या लेने अथवा लेने या देने के लिए उकसाने पर दण्ड

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जो कोई भी दहेज देता है या लेता है या लेने के लिए अथवा देने के लिए उकसाता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना से जो पन्द्रह हजार रूपयों से कम नहीं होगा या ऐसे दहेज के मूल्य की राशि से जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

### दहेज मांगने के लिए दण्ड

यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वर या वधू के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या अभिभावक से दहेज मांगता है, तो वह छः माह से दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो दस हजार रूपयों तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

### अपराध का संज्ञान

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगा।

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय -

1. स्वयं की जानकारी या ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या,
2. अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता या पिता अथवा अन्य रिश्तेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किये गये परिवार पर,

(ग) किसी महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डाज्ञा पारित करना न्याय संगत होगा।

### दहेज प्रतिषेध अधिकारी

राज्य सरकार उतनी संख्या में दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और उन क्षेत्रों को निर्विदष्ट करेगी जिनकी बाबत वे इस अधिनियम के अधीन उनकी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने हेतु जिला प्रोवेशन अधिकारियों को जिला दहेज प्रतिषेज्ञ अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

### अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

1. विवाह के पहले बाद में विवाह में एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष में दी गई कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलायेगी।
2. विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को 'दहेज' नहीं माना जायेगा।
3. इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध अजमानतीय और अशमनीय होगा।
4. दहेज लेने व देने सम्बन्धी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा।
5. विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा।


**उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग**

मानव अधिकार भवन, तृतीय तल, टी.सी.-34 बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010, फोन नं. 0522–2306403, फैक्स नं. 2728671

**टोल फ्री नं0 1800–180–5220**